dk;kZy; iath;d
lgdkjh laLFkk,a] NRRkhlx<

विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2021 / 215 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 14.01.2021

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाएं,
   (समस्त) छत्तीसगढ,
2. **मुख्य कार्यापालन अधिकारी,**
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
   (समस्त) छत्तीसगढ.
3. **प्रबंध संचालक,**
   सहकारी शक्कर कारखाना,
   समस्त छत्तीसगढ.

विषयः– प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा संस्थाओं की बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों में पदेन सचिव की हैसियत से निर्धारित दायित्वों का समुचित निर्वहन करने संबंध में।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं जॉच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों के द्वारा यह बात सामने आयी है कि कतिपय संस्थाओं के प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यापालन अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं किया गया हैं। प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी संस्था के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों के पदेन सचिव होते है। अतः उनका दायित्व है कि बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठक के समय प्रत्येक विषय पर कार्यालयीन टीप बनाकर समिति के सदस्यों के समझ प्रस्तुत करें, जिसमें अधिनियम, नियम, उपविधि व विभिन्न निर्देशों के संबंध में विस्तृत उल्लेख हो। साथ ही प्रत्येक विषय के संबंध मे सचिव के मतों का भी स्पष्ट उल्लेख हो ताकि बोर्ड / उप समितियों उनका अवलोकन कर नियमों के अंतर्गत, गुण दोषों के आधार पर समुचित निर्णय लिया जा सके, किन्तु ऐसा नही किए जाने के कारण कभी कभी समिति द्वारा लिए गए निर्णय अधिनियम, नियम उपविधि व संस्था की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नहीं होते है और उक्त के अभाव में बोर्ड के सदस्यों के मध्य विषयानुसार पर्याप्त चर्चा का अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि बैठक के प्रत्येक विषय पर उक्तानुसार विस्तृत व स्पष्ट एजेण्डा टीप बनाई जाकर बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को बैठक के सूचना पत्र के साथ भेजी जावें तथा बैठक में भी प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराई जावे। कृपया यह भी देखें कि पारित निर्णय विधि अनुरूप हो।

यदि उक्त के बावजूद भी बोर्ड द्वारा नियमों के विपरीत निर्णय लिया गया है तो संस्था के प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कर्तव्य एवं दायित्व है कि बैठक के कार्यवाही विवरण में अपनी स्पष्ट असहमति दर्ज करावें तथा ऐसे प्रकरणों को पंजीयक, संभागीय संयुक्त पंजीयक तथा जिले के उप / सहायक पंजीयक के ध्यान में तत्काल लाया जावे। यदि प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन

अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो नियमों के विपरीत पारित निर्णयों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे।

कृपया इस पत्र को संस्था के बोर्ड की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे तथा पत्र की अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उचित माध्यम से भेजा जावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2021 / 215 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 14 / 1 / 2021

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर, जिला—रायपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ।
3. समस्त उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संस्थाओं के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठकों में यदि अधिनियम, नियम, उपविधियो,शासन एवं पंजीयन के निर्देशों के विपरीत निर्णय पारित किए जाते है। तो स्पष्ट असहमति दर्ज करावें तथा इस तथ्य को संयुक्त पंजीयक एवं पंजीयक के ध्यान में तत्काल लाया जावे।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, रायपुर—कृपया उपरोक्त निर्देशों के विपरीत यदि बैकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी त्रुटि करने हेतु दोषी पाये जावें तो उसके विरूद्ध कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।
5. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ।
6. समस्त कक्ष प्रभारी, मुख्यालय।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ